

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

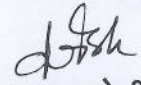
क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/8912-17

दिनांक :- 13-03-2017

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या57/2013-14

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पत्रांक एफ.1(ए)224/नीवन प्रस्ताव/ पार्ट-6/संस्था/बीमा/2014/1246 दिनांक 26.02.2014 एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.4(4)वित्त/राजस्व/2013 दिनांक 28.01.2014 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की सूची में नीचे वर्णित पद को शामिल किया जाता है:-

क्र. स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1.	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर (ग्रामीण)	-	01	-
	योग	-	01	-

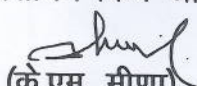

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/8912-17

दिनांक :- 13-03-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
- 3- उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर (ग्रामीण)।
- ✓ 4- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 5- निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 6- पदस्थापन सहायक अलेसे- II विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)